इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2012—भाद्र 30, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

खेल और युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2012

क्र. एफ-2-44-2012-नौ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्र. एफ. 2-16-04-नौ, दिनांक 5 अप्रैल 2005 से बनाये गये पुरस्कार नियम में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

1. विक्रम पुरस्कार के नियम क्रमांक 1.5-शर्तें के उप-नियम (2) से स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

प्रतिवर्ष अधिकतम 10 (दस) खिलाड़ियों को अंकों की वरीयता के आधार पर पुरस्कार दिये जावेंगे, जिसमें से 2 (दो) पुरस्कार दलीय खेलों के लिये दिये जावेंगे.

2. एकलव्य पुरस्कार के नियम क्रमांक 2.5 शर्तें के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

प्रतिवर्ष अधिकतम 15 (पन्द्रह) खिलाड़ियों को अंकों की वरीयता के आधार पर पुरस्कार दिये जावेंगे, जिसमें से 3 (तीन) पुरस्कार दलीय खेलों के लिये दिये जावेंगे.

3. विश्वामित्र पुरस्कार के नियम क्रमांक 3.5-शर्तें के उप-नियम (2) से स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

प्रतिवर्ष अधिकतम 3 (तीन) प्रशिक्षक को पात्रता की दशा में विश्वामित्र पुरस्कार दिये जावेंगे जिसमें से 1 (एक) पुरस्कार दलीय खेलों के लिये दिया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश गुप्ता, उपसचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्र. एफ-5-4-2012-अट्ठावन.—मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2011) की धारा 21 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में, दिनांक 20 जनवरी 2012 को पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) नियम, 2012 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में, उनके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2011);

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी तथा जो संबंधित जिले में उप संचालक/सहायक संचालक, उद्यान में पदस्थ हो;

(ग) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ङ) "कार्यक्षेत्र" से अभिप्रेत है, सम्पूर्ण जिला.

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं.

3. **रोपणी का स्वामी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा.**—फल-पौध रोपणी का कोई भी स्वामी, जो फल-पौध रोपणी का कारोबार संचालित करने या चलाने का इच्छुक है, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा.

4. **अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के लिए आवेदन.**—(1) अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने का इच्छुक कोई स्वामी, अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप "क" में आवेदन करेगा.

(2) शासकीय रोपणी का स्वामी भी अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा.

5. **अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के लिए फीस.**—(1) रोपणी का स्वामी, दो हेक्टर भूमि के क्षेत्र की रोपणी के लिए रु. 1000/- (एक हजार) और दो हेक्टर से अधिक भूमि के क्षेत्र की रोपणी के लिए रु. 2000/- (दो हजार) अनुज्ञप्ति फीस सहायक संचालक, उद्यान के कार्यालय में जमा करेगा और जमा रकम की कार्यालय रसीद अभिप्राप्त करेगा.

(2) शासकीय विभागों, शासकीय उपक्रमों जिनमें स्थानीय निकाय, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि-विज्ञान केन्द्र सम्मिलित हैं, की रोपणियों के लिए कोई अनुज्ञप्ति फीस देय नहीं होगी.

6. **अनुज्ञप्ति का मंजूर करना.**—(1) सक्षम प्राधिकारी, दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त होने पर, इस बात का समाधान हो जाने पर कि दस्तावेज सभी अपेक्षाएं पूर्ण करते हैं, आवेदक को प्ररूप "ख" में अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा.

(2) अनुज्ञप्ति की अवधि, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट तारीख से तीन वर्ष की होगी.

7. **अनुज्ञप्ति का नवीकरण.**—(1) फल-पौध रोपणी का स्वामी, अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु प्ररूप "ग" में आवेदन करेगा.

(2) सक्षम प्राधिकारी, उसे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, नवीकरण फीस के रूप में 1000/- (एक हजार) का भुगतान किए जाने पर, अपेक्षित कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा.

(3) शासकीय फल-पौध रोपणी के स्वामी को अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई भी फीस देय नहीं होगी.

(4) किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन, विद्यमान अनुज्ञप्ति के अवसान होने की तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व सक्षम प्राधिकारी को किया जाएगा.

(5) सक्षम प्राधिकारी, विद्यमान अनुज्ञप्ति की कालावधि के अवसान होने के पूर्व, अनुज्ञप्ति को नवीकृत करेगा. सक्षम प्राधिकारी, नवीकरण के आवेदन को खारिज कर सकेगा और उसकी सूचना आवेदक को प्रेषित करेगा.

(6) अनुज्ञप्ति के नवीकरण का कोई भी आवेदन, अनुज्ञप्ति की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा.

8. **अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति.**—यदि स्वामी को मंजूर की गई कोई अनुज्ञप्ति गुम हो गई है, फट गई है या खराब हो गई है, चोरी हो गई है या नष्ट हो गई है तो सक्षम प्राधिकारी, रुपये 500/- (रुपये पांच सौ) के भुगतान पर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा.

9. **अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण.**—(1) सक्षम प्राधिकारी को यह शक्ति होगी कि नियमों के किसी उल्लंघन के लिए इन नियमों के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करे:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, इन नियमों के अधीन कोई कार्रवाई करने या कोई आदेश पारित करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताने का अवसर देगा.

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्ति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल निलंबित या रद्द किए जाने योग्य होगी यदि स्थान अपर्याप्त हैं या इससे सार्वजनिक सुरक्षा या स्वास्थ्य को खतरा होता है या असुविधा होती है.

10. **अनुज्ञप्ति और पौध आदि का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करना.**—फल-पौध रोपणी का स्वामी, चाहे वह निजी या शासकीय विभाग के स्वामित्व का हो, रोपणी के किसी सहजदृश्य स्थान पर, मूल अनुज्ञप्ति प्रदर्शित करेगा और परिसरों में पृथक् रूप से फल-पौधों के विक्रय मूल्य की सूची प्रदर्शित करेगा या चिपकाएगा.

11. **अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं होगी.**—इन नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं होगी और अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के पश्चात् यह प्रतिसंहृत समझी जाएगी.

12. **पौधों को सम्मिलित करने या हटाने की अनुज्ञा.**—(1) यदि फल-पौध रोपणी का स्वामी, रोपणी में पौध सम्मिलित करने या रोपणी में से कुछ पौधे हटाने की वांछा करता है, तो वह सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञा के लिए प्ररूप ''घ'' में, आवेदन करेगा. सक्षम प्राधिकारी रु. 500/- (पांच सौ) फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, रोपणी का निरीक्षण करेगा या निरीक्षण कारित करवाएगा तथा समाधान हो जाने के पश्चात्, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर, पौधों को सम्मिलित करने या उन्हें हटाने के लिए अनुज्ञा मंजूर करेगा:

परन्तु यदि अनुज्ञप्ति की कालावधि का अवसान हो गया है तो अनुज्ञा मंजूर नहीं की जाएगी.

(2) रोपणी में तब तक कोई फल-पौध शामिल नहीं किया जाएगा या रोपणी से हटाया नहीं जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की सम्यक् अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं कर ली गई हो.

13. **लेबल चिपकाना/प्रदर्शित करना.**—अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक, सहजदृश्य रीति में लेबल प्रदर्शित कर, विक्रय के लिए रखे गये फल-पौधों का नाम, उसकी आयु तथा फल-पौधों की कलम के साथ मूल वृन्त (रूट स्टाक) का नाम विनिर्दिष्ट करेगा. अनुज्ञप्ति का धारक, लेबल पर पौधों के प्रवर्धन (प्रोपेगेशन) की तारीख, अवसान की कालावधि, स्थानीय नाम उल्लिखित करेगा.

14. **अभिलेख संधारित किया जाना.**—फल-पौध रोपणी का प्रत्येक स्वामी अधिनियम की धारा 6 द्वारा यथा अपेक्षित प्ररूप ''ङ'', प्ररूप ''च'' तथा प्ररूप ''छ'' में तीन रजिस्टर संधारित करेगा.

15. **निदेश जारी करने की शक्ति.**—सक्षम प्राधिकारी या संचालक, उद्यानिकी को, फल-पौधों के प्रवर्धन में प्रयुक्त किए गए रोपणी भू-खण्डों तथा मातृ वृक्षों को, कीटों, नाशकजीवों तथा पौधों को होने वाले रोगों से मुक्त रखने के प्रयोजन के लिए, रोपणियों के स्वामियों को तकनीकी निदेश देने की शक्ति होगी.

16. **अनुज्ञप्तिधारी या उसके नामनिर्देशिती का उपस्थित रहना.**—उस सम्पूर्ण समय के दौरान जिसके लिए परिसर विक्रय हेतु लोगों के लिए खुला रहे, या तो अनुज्ञप्ति का धारक या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्तिधारी ने नामनिर्दिष्ट किया हो, रोपणी में उपस्थित रहेगा.

17. **प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति.**—(1) सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, प्रातः 8.00 बजे से सायं 7.00 बजे के दौरान रोपणी के परिसरों में किसी फल-पौध रोपणी की स्थिति सुनिश्चित करने या उसके रोपणी कार्यों का परीक्षण करने हेतु या किसी ऐसी फल-पौध रोपणी या व्यवसाय के स्थल के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, जहां कि फल-पौधों का विक्रय किया जाता है या अधिनियम में या इन नियमों में उल्लिखित किसी अन्य प्रयोजन के लिए, प्रवेश करने की शक्ति होगी.

(2) रोपणी का स्वामी निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को सभी संभव सहायता देगा.

18. **अपील.**—(1) अनुज्ञप्ति मंजूर करने या नवीकृत करने से इंकार करने या किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर, प्ररूप ''ज'' में, संचालक, उद्यानिकी या संबंधित विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु अपील, प्राधिकारी 30 दिन के अवसान होने पर अपील पर विचार कर सकेगा यदि यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अपील फाइल करने से निवारित रहा था :

परन्तु यह और कि उसके द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान होने पर कोई अपील ग्राह्य नहीं की जाएगी.

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी अपील के प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अपील पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे.

(3) अपीलार्थी, अपीली प्राधिकारी के कार्यालय में रु. 250/- (दो सौ पचास) की फीस जमा करेगा तथा रसीद प्राप्त करेगा. मूल रसीद, अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत की जाएगी.

19. **अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण.**—(1) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट विधिमान्यता की कालावधि का अवसान हो जाने पर या अनुज्ञप्ति के निलंबित किए जाने या रद्द किए जाने के आदेश की प्राप्ति पर, अनुज्ञप्ति को सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्पित करेगा.

(2) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे अवसान, निलंबन या रद्दकरण के पश्चात्, रोपणी के स्वामी को उसकी फल-पौध रोपणी के समापन हेतु ऐसा युक्तियुक्त समय देगा, जैसा कि वह उचित समझे.

(3) सक्षम प्राधिकारी को यह भी शक्ति है कि वह स्वामी को यदि आवश्यक हो तो शेष कालावधि के लिए नवीन अनुज्ञप्ति जारी करे.

20. **शास्तियां.**—यदि कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2011) के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है या किसी अधिकारी या व्यक्ति को, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने में या उस पर अधिरोपित किए गए किसी कर्तव्य का अनुपालन करने में बाधा उत्पन्न करता है, तो वह अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)

फल-पौध रोपणी हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी का आवेदन

प्रति,

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

1. फल-पौध रोपणी का नाम .....
2. रोपणी के स्वामी का नाम और पूरा पता .....
3. रोपणी की अवस्थिति .....
   - (क) जिला .....
   - (ख) तहसील और ग्राम .....
   - (ग) निकटतम रेल्वे स्टेशन .....
   - (घ) डाक का पता .....
   - (ङ) दूरभाष/मोबाइल नंबर/ई-मेल आदि .....
4. फल-पौध रोपणी के ब्यौरे:—
   - (एक) मातृ वृक्षों का विवरण .....
     - (क) खसरा क्रमांक और क्षेत्र (हेक्टर में) .....

(ख) फल-पौधों के प्रकार एवं किस्म .....

(ग) फल-पौधों की संख्या .....

(घ) फल-पौधों की उम्र तथा मातृ वृक्ष का स्रोत .....

(यदि मातृ पौधों के स्रोत ज्ञात नहीं हैं तो मातृ पौधों के रूप में उपयोग के पूर्व उत्पादित फल की क्वालिटी के निराकरण से संबंधित जानकारी दी जाए).

(दो) मूल जड़ वृन्त (रूट स्टाक) के मातृ पौधों के ब्यौरे—

(क) क्षेत्र और खसरा क्रमांक .....

(ख) जड़ वृन्त (रूट स्टाक) के प्रकार एवं किस्म .....

(ग) पौधों की संख्या .....

(घ) पौधों की आयु .....

(ङ) मातृ पौधों का स्रोत .....

(यदि वह मूल मातृ पौधों (कमल) का स्वामी नहीं है तो उसे जानकारी देनी होगी जहां से कि वह कलम लाया था.)

(तीन) प्रत्येक वर्ष जिन फल-पौधों का प्रवर्धन करना प्रस्तावित है उनके उक्त ब्यौरों सहित मूलोच्छेद मुकुलित या कलम करके बांधने के पौधों की संख्या की जानकारी दें:—

अनुक्रमांक (1)	फल-पौध का नाम (2)	किस्म (3)	प्रवर्धन का तरीका (4)	प्रवर्धित पौधों की संख्या (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

5. (एक) फल-पौध रोपणी का कारबार संचालित करने या चलाए जाने की कालावधि—
. . . . . वर्ष

(दो) विगत दो वर्षों के दौरान प्रवर्धित किए गए तथा विक्रीत पौधों की संख्या :—

प्रवर्धित . . . . . पौधे.

विक्रय किए गए . . . . . पौधे.

(तीन) प्रत्येक किस्म के पौधों की जानकारी:—

अनुक्रमांक (1)	फल-पौध का नाम (2)	किस्म (3)	प्रवर्धन का तरीका (4)	प्रवर्धित पौधों की संख्या (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

6. कीट, नाशकजीव और पौध रोगों के नियंत्रण के लिए उपलब्ध उपस्करों के ब्यौरे :—

1. . . . . .
2. . . . . .
3. . . . . .
4. . . . . .
5. . . . . .

7. जमा की गई अनुज्ञप्ति फीस के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

रकम रुपये . . . . . .

रसीद क्रमांक . . . . . .

तारीख . . . . . .

घोषणा

(एक) मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी तथा विशिष्टियां मेरे ज्ञान तथा विश्वास से सत्य और सही हैं.

(दो) मैंने अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को पढ़ लिया है तथा मैं, समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूं.

(तीन) मैं, यह भी वचन देता हूं कि मैं, सर्वोत्तम गुणवत्ता के पौधों का प्रवर्धन करूंगा तथा उनका ऐसी दरों पर विक्रय करूंगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाएं.

(चार) मैं, यह भी वचन देता हूं कि ऐसे पौधे (रूट स्टाक) जो मेरी रोपणी में उपलब्ध नहीं हैं जहां तक संभव हो, अगले मौसम में रोपण करूंगा.

स्थान .....

तारीख . . . . . .

( )

आवेदक के हस्ताक्षर,

डाक का पता दूरभाष क्रमांक सहित.

प्ररूप-ख

(नियम 6 देखिए)

फल-पौध रोपणी हेतु अनुज्ञप्ति

(मध्यप्रदेश राज्य में फल-पौध रोपणी का कारबार संचालित करने या चलाने हेतु अनुज्ञप्ति)

अनुज्ञप्ति

पुस्तक क्रमांक . . . . . अनुक्रमांक . . . . . .

यह अनुज्ञप्ति तारीख . . . . . से . . . . . तक . . . . . की कालावधि के लिए . . . . . (पौध-रोपणी का नाम) है.

मैं, ... श्री/श्रीमती/ कुमारी ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... मध्यप्रदेश को फल-पौध रोपणी का कारबार संचालित करने या चलाने के लिए जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, दिनांक . . . . . से प्रारंभ होकर . . . . . तक की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2011) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति जारी करता हूं:—

फल-पौध रोपणी का नाम	फल-पौध रोपणी की अवस्थिति और भूमि खसरा क्रमांक	फल-पौध रोपणी का कुल क्षेत्र	फल-पौध का रजिस्ट्रीकृत नाम तथा किस्म जिससे विक्रय हेतु प्रवर्धित किया जाएगा
(1)	(2)	(3)	(4)

स्थान .....
तारीख . . . . . .

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,
पदनाम की मुद्रा.

प्ररूप-ग

(नियम 7 देखिए)

अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन

प्रति,

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

मैं/हम फल-पौधों के उत्पादन के लिए अनुज्ञप्ति धारक हूं/हैं, तथा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति, जिला/संभाग ..... के सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रमांक . . . . . तारीख . . . . . से तीन वर्ष की कालावधि के लिए जारी की गई थी जिसका अवसान . . . . . को हो जाएगा.

यह आवेदन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रस्तुत किया है.

1. विद्यमान अनुज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न है.

2. फल-पौध रोपणी के कुल क्षेत्र की जानकारी, खसरा क्रमांक और मातृ-पौधों की संख्या निम्नानुसार है:—

मातृ पौधों का विवरण.—

(क) खसरा क्रमांक . . . . . .
(ख) क्षेत्र . . . . . .
(ग) फल-पौधों का प्रकार तथा किस्म . . . . . .
(घ) फल पौधों की मात्रा (संख्या) . . . . . .
(ङ) फल पौधों की आयु . . . . . .
(च) मातृ पौधों का स्रोत (यदि मातृ पौधों का स्रोत ज्ञात नहीं है, तो फल के उत्पादन तथा गुणवत्ता से संबंधित जानकारी दी जाए). . . . . .

3. कलम कर के बांधे गए या कलम (रूट कटिंग) पौधों की मात्रा (संख्या) की जानकारी उपरोक्त ब्यौरे सहित दी जाए.

फल पौधों के नाम	किस्म	प्रवर्धन का तरीका	प्रवर्धित पौधों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)

4. कीट, नाशकजीव और पौध रोगों के नियंत्रण के लिए उपलब्ध उपकरणों के ब्यौरे—

(1) . . . . . .
(2) . . . . . .
(3) . . . . . .
(4) . . . . . .

5. प्रति वर्ष में उत्पादित और विक्रय किये गये पौधों की जानकारी निम्नानुसार है:—

वर्ष	फल पौध का नाम	किस्म	उत्पादित पौधों की संख्या	विक्रय किये गये पौधौं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए जमा फीस के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

रकम रुपये . . . . . .
रसीद क्रमांक . . . . . .
तारीख . . . . . .

घोषणा

(एक) मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि, ऊपर दी गई जानकारी तथा विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य तथा सही है.

(दो) मैंने अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों को पढ़ लिया है और मैं समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूं.

(तीन) मैं अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के पालन करने का भी वचन देता हूं.

(चार) मैं यह भी वचन देता हूं कि, मैं गुणवत्ता वाले पौधों का विक्रय ऐसी दरों पर करूंगा, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जायें.

स्थान : . . . . . .
तारीख : . . . . . .

आवेदक के हस्ताक्षर
डाक का पता दूरभाष क्रमांक सहित

प्ररूप-घ

(नियम 12 देखिए)

अनुज्ञप्ति से कुछ पौधों को सम्मिलित करने या हटाने हेतु अनुज्ञा के लिए आवेदन

प्रति,

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

मैं/हम ..... नाम से अनुज्ञप्ति जिसका क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . है, तीन वर्ष की कालावधि के लिए फल-पौधों के उत्पादन एवं विक्रय को धारण कर रहा हूं जो दिनांक . . . . . को समाप्त हो जाएगी. (अनुज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न है).

मैं अनुज्ञप्ति में वर्णित पौधों की सूची में, निम्नलिखित पौधों को सम्मिलित कराना चाहता हूं:—

अनुक्रमांक (1)	फल पौध का नाम (2)	किस्म (3)	प्रवर्धन का तरीका (4)	फल पौध की संख्या (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

मैं अनुज्ञप्ति में वर्णित पौधों की सूची में से निम्नलिखित फल-पौधों को हटाना चाहता हूं :—

वर्ष (1)	फल पौध का नाम (2)	किस्म (3)	प्रवर्धन का तरीका (4)	गुणित पौधों की संख्या (5)

स्थान : . . . . . .
दिनांक : . . . . . .

आवेदक के हस्ताक्षर
डाक का पता दूरभाष क्रमांक सहित

प्ररूप-ङ

(नियम 14 देखिए)

फल पौधों के प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त मातृ पौधों के स्त्रोत को दर्शाने वाला रजिस्टर

फल पौध रोपणी की अवस्थिति तथा भूमि, खसरा क्रमांक जहां पौधों का प्रवर्धन किया जाता है	फल पौधों के नाम तथा किस्म		फलोद्यान में फल पौधों को दिए गए क्रमांक	
	मूल वृन्त (रूट स्टाक)	कलम (साइअन)	रूट स्टाक	कलम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्ररूप-च

(नियम 14 देखिए)

विक्रय हेतु तैयार किए गए फल पौधों की जानकारी दर्शाने वाला रजिस्टर

फल पौधों के नाम तथा किस्म	फलोद्यान के मातृ पौधों को दिया गया क्रमांक		उत्पादित पौधों की संख्या	परिवहन के लिए या विक्रय के लिए तैयार पौधे	अभ्युक्ति
	रुट स्टाक को दिया गया क्रमांक	कलम (बड/ स्टिक)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप-छ

(नियम 14 देखिए)

विक्रीत फल-पौधों की जानकारी दर्शाने वाला रजिस्टर

विक्रय की तारीख	उस व्यक्ति का नाम तथा पता जिसने पौधे क्रय किए	विक्रय हेतु उत्पादित पौधे का स्त्रोत		प्रति पौधा विक्रय मूल्य	विक्रय किए गए पौधों की संख्या	अभ्युक्ति
		मूल वृन्त (रूट स्टाक) को दिया गया क्रमांक	कलम (साइअन) को दिया गया क्रमांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप-ज

(नियम 18 देखिए)

सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का ज्ञापन

प्रति,

अपील प्राधिकारी,

. . . . . .

. . . . . .

मैं/हम फल-पौधों के उत्पादन और विक्रय के कारोबार को संचालित करने और चलाने के लिए अनुज्ञप्ति धारण करते है. सक्षम प्राधिकारी द्वारा . . . . . के नाम से अनुज्ञप्ति क्रमांक . . . . . .तारीख . . . . . को जारी की गई है.

सक्षम प्राधिकारी ने :—

(एक) अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार कर दिया है; या
(दो) अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया है;
(तीन) अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया है,

या

मैंने/हमने फल-पौध रोपणी के कारोबार को संचालित करने या चलाने के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये आवेदन किया है.

सक्षम प्राधिकारी ने :—

अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर दिया है.

सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के पुनर्विचार हेतु मैं अपील के इस ज्ञापन को प्रस्तुत कर रहा हूं.:—

(एक) सक्षम प्राधिकारी के ब्यौरे जिसने आदेश पारित किया है. नाम . . . . . पदनाम . . . . . पता . . . . . .

(दो) आदेश क्रमांक
(तीन) तारीख
(चार) अपील का आधार
(पांच) अपील फाईल करने की तारीख

स्थान :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

नाम . . . . . .

पता . . . . . .

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्र. एफ 5-4-2012-अट्ठावन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-4-2012-अट्ठावन, दिनांक 12 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

Bhopal, the 12th September 2012

No. F-5-4-2012-LVIII—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 21 of the Madhya Pradesh Phal-Paudh Ropani (Viniyaman) Adhiniyam, 2010 (No. 3 of 2011), the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 20th January 2012 as required by sub-section (1) of Section 21 of the said Adhiniyam, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Phal-Paudh Ropani (Viniyaman) Rules 2012.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules unless the Context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Phal Paudh Ropani (Viniyaman) Adhiniyam, 2010 (No. 3 of 2011);

(b) "Competent authority" means a competent authority appointed under Section 3 of the Act and who shall be Deputy Director/Assistant Director, Horticulture posted in the respective district.

(c) "Section" means section of the Act;

(d) "Form" means forms appended to thses rules.

(e) "Working area" means entire district.

2. Words and expressions used in these rules but not defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **Owner of nursery to obtain licence.**—Any owner of a fruit-plant nursery desires to conduct or carry on the business of the fruit plant nursery shall obtain a licence under these rules.

4. **Application for grant of licence.**—(1) Any owner desiring to obtain a licence shall make an application in form A to the competent authority for grant of licence.

(2) The owner of Government nursery shall also make an application to the competent authority for grant of licence.

5. **Fee for grant of licence.**—(1) The owner of a nursery shall deposit, the licence fee of Rs. 1000/- (One thousand) for the nursery having the area of two hectares of land and Rs. 2000/- (two thousand) for the nursery the area of which is more than two hectares of land, in the office of the Assistant Director, horticulture and shall obtain the official receipt of the deposited amount.

(2) No licence fee shall be payable for the nurseries of the Government Department, Government undertaking which includes local bodies, Krishi Vishwavidyalaya and Krishi Vigyan Kendras.

6. **Grant of Licence.**—(1) The competent authority on receipt of application alongwith documents being satisfied that all the documents fulfill the requirement, may grant a licence in the Form B to the applicant.

(2) The duration of licence shall be three years from the date specified in the licence.

7. **Renewal of licence.**—(1) The owner of fruit plant nursery shall make an application in Form C for the renewal of licence.

(2) The competent authority may, on application being made to him in that behalf renew the licence for the requisite period on payment of Rs. 1000/- (one thousand) as renewal fee.

(3) No fee for renewal of licence shall be payable by the owner of Government fruit plant nursery.

(4) The application for renewal of a licence shall be made to the competent authority at least three months before the date of expiry of the existing licence.

(5) The competent authority shall renew the licence before the expiry of the period of existing licence. The competent authority may reject the application for renewal and intimation thereof shall be sent to the applicant.

(6) No application of renewal for licence shall be entertained after the expiry of the period of licence.

8. **Duplicate copy of licence.**—If a licences granted to an owner is lost, mutilated or damaged, stolen or destroyed, the competent authority shall on payment of Rs. 500/- (Rupees Five Hundred), issue duplicate licence.

9. **Suspension or cancellation of licence.**—(1) The competent authority shall have power to suspend or cancel any licence granted under these rules for contravention of any of the rules:

Provided that the competent authority shall give the licencee on apportunity to show cause before taking any action or passing any order under these rules.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the licence shall be liable to immediate suspension or cancellation by the competent authority, if the place is insufficient or is causing danger to the safety or health or inconvenience to the public.

10. **Display of licence and sale price of plants etc.**—The owner of fruit plant nursery whether private or owned by the Government Department shall display the original licence on a conspicuous place of the nursery and shall also display or paste the list of sale price of fruit plants separately in the premises.

11. **Licence not transferable.**—A licence granted under these rules shall not be transferable and after the death of the licensee it shall be deemed to be revoked.

12. **Permission to include or remove plants.**—If the owner of a fruit plant nursery desires to include plants in the nursery or remove some plants from the nursery, he shall make an application in Form D to the competent authority for permission. The competent authority, on receipt of the application alongwith the application fee of Rs. 500/- (five hundred), shall inspect or cause to be inspected the nursery and after satisfaction, grant the permission for inclusion or removal of plants within 30 days from the date of receipt of the application :

Provided that no permission shall be granted if the period of licence has expired:

(2) No fruit plants shall be included in the nursery or removed from the nursery unless due permission of competent authority has been obtained.

13. **Label to be pasted/displayed.**—Every holder of licence shall specify the name of fruit plants kept for sale, its age and the name of root stock together with scion of fruit plants on a label to be displayed in a conspieuous manner, The holder of licence shall mention the date of propagation, period of expiry, local name of the plants on the label.

14. **Record to be maintained.**—Every owner of fruit plant nursery shall maintain three registers in Form E, From F and Form G as required by Section 6 of the Act.

15. **Power to issue directions.**—The competent authority or the Director Horticulture, shall have power to give technical directions to the owners of nurseries for the purpose of keeping the nursery plots and parent trees used for the propagation of fruit plants free from insects, pests and plant diseases.

16. **Licencee or his nominee to be present.**—Either the holder of the licence or any person whom the licencee has nominated, shall be present at the nursery during the whole time for which premises are open to the public for sale.

17. **Power of entry and Inspection.**—(1) The Competent authority or any person authorized by it or by the State Government in this behalf, shall have the power to enter the premises of nursery during 8.00 a. m. to 7.00 p.m. for inspection for the purpose of ascertaining the position or examining the working of any fruit plant nursery or place of business where the fruit plants are sold or for any other purpose mentioned in the Act or in these rules.

(2) The owner of nursery shall render all possible assistance to the person making the inspection.

18. **Appeal.**—(1) Any person aggrived by an order of a competent authority refusing to grant or renew a licence or suspending or caneelling a licence may file appeal in Form H to the Director of Horticulture or to any Officer authorized by the concerned department for the purpose within 30 days from the date of receipt of the order by him:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal on expiry of 30 days if it is satistified that the appellant was prevented by sufficient cause from filling the appeal in time:

Provided further that no appeal shall be entertained on the expiry of sixty days from the date of receipt of the order by him.

(2) On receipt of an appeal under sub-rule (1), the appelate authority shall after giving the appellant an apportunity of being heard, pass such order on the appeal as it thinks fit.

(3) the appellant shall deposit the fee of Rs. 250/- (Two hundred fifty) in the Office of the appellate authority and obtain a receipt. The original receipt shall be submitted alongwith the memorandum of appeal.

19. **Surrender of licence.**—(1) The licencee shall surrender, the licence on the expiry of the period of validity specified in the licence or on receipt of an order suspending or cancelling a licence, to the competent authority.

(2) The competent authority may, after such expiration, suspension or cancellation give such reasonable time as it thinks fit to the owner of the nursery to enable him to windup his fruit plant nursery.

(3) The competent authority shall also have the power to issue new licence to the owner for remaining period if needed.

20. **Penalties.**—If any person contravenes any of the provisions of the Madhya Pradesh Phal Paudh Ropani (Viniyaman) Adhiniyam, 2010 (No. 3 of 2011) or contravenes the provisions of these rules or obstracts any Officer or person in the exercise of any powers conferred or in the performance of any duty imposed on him by or under the Act shall be punished with imprisonment or with fine or with both, in accordance with the provisions of Section 14 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
T. R. KATWALE, Under Secy.

FORM-A
(See rule 4)

APPLICATION TO GRANT OF LICENSE FOR FRUIT PLANT NURSERY

To,

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

1. Name of Phal Paudh Nursery .....
2. Name of owner of nursery and full address .....
.....
.....
.....

3.. Location of nursery .....

(a) District .....

(b) Tehsil and Village .....

(c) Nearest railway station .....

(d) Postal address .....

.....

.....

(e) Telephone/Mobile Number/Email etc. .....

4. Details of Phal Paudh Nursery:—

(i) Particulars of mother ptants .....

(a) Khasra number and area (in hectare) .....

(b) Kind and variety of fruit plants .....

(c) Number of fruit plant .....

(d) Age of fruit plants and source of mother plants .....

(If the source of mother plants is not known, the information regarding disposal of quality of produced fruit be given before the use as mother plants).

(ii) Details of mother plants of original rootstock .....

(a) Area and khasra number .....

(b) Kind and variety of rootstock .....

(c) Quantity of plants .....

(d) Age of plants .....

(e) Source of mother plants .....

(if he/she is not the owner of the original mother plants (bud) he/she will have to give the information from where he brought the bud stick).

(iii) which varieties of fruit plants are proposed to be propagated every year, the information of quantity of grafted, budded or root cut plants be given with the above details :—

S. No. (1)	Name of fruit plant (2)	Variety (3)	Medhod of propagation (4)	No. of propagated plants (5)
1				
2				
3				
4				
5				

5. (i) The period of conducting or carrying on the business of fruit plant nursery—

. . . . . years.

(ii) The Number of plants propagated and sold during the last two yers:—

Propagated . . . . . .plants.

Sold . . . . . .plants.

(iii) The information of each variety of Plants :—

S. No. (1)	Name of fruit plant (2)	Variety (3)	Method of Propagation (4)	No. of propagated plants (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

6. The details of available equipments for controlling the insects, pest and plant diseases :—

1. . . . . .
2. . . . . .
3. . . . . .
4. . . . . .
5. . . . . .

7. The details of licence fee deposited is as under :—

Amount Rs.. . . . . .

Receipt No. . . . . .

Date . . . . . .

DECLARATION

(i) I, hereby declare that the information and particulars given above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

(ii) I, have read the provisions of the rules made under the Act and I promise to comply the provisions of rules as amended from time to time.

(iii) I, also promise that I, shall propagate the plants of best quality and sell them at such rates as may be fixed by the State Govenment from time to time.

(iv) I, also promise that the plants (root stock) which are not available in my nursery will be planted as far as possible in the next season.

Place . . . . . .
Date . . . . . .

( )
Signature of applicant,
Postal Address with Telephone number.
. . . . . .
. . . . . .

FORM-B
(See Rule 6)

LICENCE FOR FRUIT-PLANTS NURSERY

(A Licence for conducting or carry on the business of fruit plants nursery in the state of Madhya Pradesh)

LICENCE

Book No. . . . . Serial Number . . . . . .

Licence is for the period from (date) . . . . . .to. . . . . Name of fruit plant nursery . . . . . .

I issue this licence to Shri/Smt./Ku . . . . . resident of . . . . . .Tehsil . . . . . District . . . . . Madhya Pradesh for conducting or carrying on the business of fruit plants nursery, the details of which are as under for the period commencing from . . . . . to . . . . . in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Phal-Paudh Ropani (Viniyaman) Adhiniyam, 2010 (No. 3 of 2011) under the following terms and conditions:—

Name of fruit Plant nursery	Location and land khasra number of fruit plant nursery	Total area of fruit plant nursery	The registered name and variety of fruit plants that will be propagated for sale
(1)	(2)	(3)	(4)

Place . . . . . Signature of competent authority
Date . . . . . Seal of designation

FORM-C
(See Rule-7)

APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE

To,

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

I/We holding/we are holding a licence for production and sale of frouit plants issued by competent authority of District/Division . . . . . .vide No. . . . . dated . . . . . .for a period of three years which will expire on . . . . . .

This application is submitted for renewal of the licence

1. Photo copy of existing licence is enclosed.

2. Information of total area of fruit plant nursery khasra No. and number of mother-plants is as under:—

Particulars of Mother plants—

(a) Khasra Number . . . . . .
(b) Area . . . . . .
(c) Kind and variety of fruit plants . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(d) Quantity of fruit plants . . . . . .

(e) Age of fruit plants . . . . . .

(f) Source of mother plants . . . . . .

(If the sources of Mother plants is not known, the information regarding production and quality of fruits be given). . . . . .

3. The information of quantity of grafted, budded or root-cutting plants be given with the above details.

Name of fruit plants (1)	Variety (2)	Method of propagation (3)	Number of propagated plants (4)

4. The details of available equipments for controlling the insects, pests and plant diseases:—

(1) . . . . . .
(2) . . . . . .
(3) . . . . . .
(4) . . . . . .

5. Information of produced and sold plants in every year is as under :—

Year (1)	Name of fruit plant (2)	Variety (3)	Number of produced plants (4)	Number of sold plants (5)

6. The details of fee deposited for renewal of licence is as under :—

Amount Rs. . . . . .
Receipt No. . . . . .
Date . . . . . .

DECLARATION

(i) I here by declare that the information and particular given above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

(ii) I have read the provisions of the rules made under the act and I promise the comply the provision of rules as amended from time to time.

(iii) I also promise to comply with the terms and condition of the licence.

(iv) I also promise that I shall sell the best quality of plants at such rates as may be fixed by the state Government from time to time.

Place . . . . . .
Date . . . . . .

Signature of Applicant
Postal Address with phone number

FORM-D
(See Rule 12)

APPLICATION FOR PERMISSION TO INCLUDE IN OR REMOVE SOME PLANTS FROM LICENCE

To,

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

I/We holding/we are holding a licence No. . . . . Date . . . . . in the Name of . . . . . for to produce and to sell fruit plants for a period of three years which will expire on . . . . . (Photo copy of licence is enclosed.)

I want to include the following plants in the list of plants mentioned in the licence:—

S. No. (1)	Name of fruit plant (2)	Variety (3)	Method of Propagation (4)	Number of fruit Plants (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

I want to remove the following fruit plants from the list of plant mentioned in the licence:—

Year (1)	Name of fruit plant (2)	Variety (3)	Method of Propagation (4)	Number of multiplied plants (5)

Place . . . . . .

Date . . . . . .

Signature of applicant
Postal address with Telephone number.

FORM-E
(See Rule 14)

REGISTER SHOWING THE SOURCE OF MOTHER PLANTS USED FOR PROPAGATION OF FRUIT PLANTS

Location and land Khasra No. of fruit plant nursery where plants are propagated	Name and variety of fruit plants		Number given to the fruit plants in the orchard	
	Root stock	Scion	Root stock	Scion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

FORM-F
(See Rule 14)

REGISTER SHOWING THE INFORMATION OF FRUIT PLANTS PREPARED FOR SALE

Name and variety of fruit plants	Number given to the mother plant in the orchard		Number of produced plants	Plants ready for transportation or for sale	Remark
	Number given to the root stock	Number given to the scion (bud stick)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

FORM-G
(See Rule 14)

REGISTER SHOWING THE INFORMATION OF FRUIT PLANTS SOLD

Date of sales	Name and address of person who purchased the plants	Source of produced plant for selling		Sales price per plant	Number of sold plants	Remark
		Number given to the root stock	Number given to the scion			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FORM-H

(See Rule 18)

MEMORANDUM OF APPEAL AGAINST THE ORDER OF COMPETENT AUTHORITY

To,

The Appellate authority

. . . .

. . . .

I am/we are holding a licence for conducting and carrying on the business of production and sale of fruit plants. The license No. . . . . Date . . . . has been issued in the Name of . . . . by the competent authority.

THE COMPETENT AUTHORITY:—

(i) has refused to renew the license; or

(ii) has suspended the license;

(iii) has cancelled the license.

OR

I/we have applied for grant of licence to conduct or carry on the business of fruit plant Nursery.

THE COMPETENT AUTHORITY:—

Has refused to grant license.

I am filing this memorandum of appeal to reconsider the order passed by the compentent authority:—

(i) Details of Competent authority who passed order — Name . . . .

Designation . . . .

Address . . . .

. . . .

(ii) Order No.

(iii) Date

(iv) Grounds of appeal

(v) Date of filing the appeal

Place . . . .

Signature of appellant . . . .

Name . . . .

Address . . . .

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. एफ-1-1-2012-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता, भाग-एक में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 310 में, अक्षर तथा अंक "रुपये 1000/-" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, अक्षर तथा अंक "रुपये 20,000/-" स्थापित किए जाएं.

यह संशोधन "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

No. F-1-1-2012-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India, The Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Treasury Code, Volume-I, namely:—

AMENDMENT

In the said rule, in rule 310, for the letter and figure "Rs. 1000/-" wherever they occur, the letter and figure "Rs. 20,000/-" shall be substituted.

This amendment shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.